राज्य सभा सचिवालय

रा.स./11/2018/यु/भा.से. (प्रशासन) दिनांक : 06.04.2018

कन्सल्टेंट भाषांतरकारों का पैनल बनाए जाने के लिए सूचना

विषय : भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी भाषाओं में कन्सल्टेंट भाषांतरकारों का पैनल बनाया जाना ।

राज्य सभा सचिवालय, राज्य सभा एवं इसकी समितियों की बैठकों में उपर्युक्त भाषाओं से हिंदी/अंग्रेजी में युगपत् भाषांतरण के लिए कन्सल्टेंट भाषांतरकारों का पैनल बनाए जाने हेतु राज्य सभा तथा लोक सभा सचिवालयों, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी सहित सभी पात्र नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है ।

संबंधित व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर उपर्युक्त भाषाओं में किसी एक भाषा का अध्ययन तथा मानविकी विषयों में स्नातकोत्तर होना चाहिए । यदि संबंधित व्यक्ति मानविकी विषय में स्नातक है, उसे उपर्युक्त भाषाओं में किसी एक भाषा में स्नातकोत्तर होना चाहिए तथा उसमें युगपत् भाषांतरण की सहज योग्यता होनी चाहिए । योग्य उम्मीदवारों के मामले में इस अर्हता में छूट दी जा सकती है ।

न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है । पैनल में शामिल किए गए व्यक्तियों को राज्य सभा सचिवालय में युगपत् भाषांतरण सेवा द्वारा युगपत् भाषांतरण में उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

भाषण के युगपत् भाषांतरण और अनुवाद के लिए कंसल्टेंट भाषांतरकार के रूप में पैनल में शामिल व्यक्तियों/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को हर असाइनमेंट के 6000 रूपये और सरकारी/लोक सभा, राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों /अधिकारियों को 2500 रूपये के पारितोषिक का भुगतान किया जाएगा । संसद भवन परिसर से बाहर के उम्मीदवारों को नियमानुसार देय परिवहन भत्तों की अदायगी की जायेगी । चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान भी उपयुक्त पारितोषिक दिया जायेगा ।

योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में श्री अमित कुमार, उप सचिव (कार्मिक), कमरा नं.147, प्रथम तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001 को 20.04.2018 तक भेज सकते हैं।

दूरभाष - 011-23034252

Email: rssamit.kumar@sansad.nic.in